भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*426

दिनांक 23 जुलाई,2019 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश

***426. श्री हेमन्त पाटिल:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से किये गये उपायों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से आवंटित धनराशि एवं स्रोतों का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में शीतागार सुविधाओं को बेहतर करने और उन्हें बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 में उठाये गये कदमों का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2014 से 2018 के मध्य शीतागार क्षमता में की गई अभिवृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों तथा इन बाधाओं को दूर करने हेतु वर्ष 2014 से उठाये गए कदमों का राज्य एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्रीमती हरसिमरत कौर बादल)

(क) से (ड): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के बारे में दिनांक 23 जुलाई,2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.426* के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार किए गए प्रमुख नीतिगत/वित्तीय उपाय एवं उठाए गए अन्य कदम **संलग्नक**-। में दिए गए हैं ।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों के अंतर्गत निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है क्योंकि स्कीमें मांग प्रेरित हैं और पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रयुत्तर में दी जाती है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत निधियों का वर्ष-वार आवंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	निधियों का आवंटन (करोड़ रुपए)
2014-15	600.00
2015-16	487.00
2016-17	688.56
2017-18	633.84
2018-19	870.33
2019-20	1101.00

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्टैंड-अलोन शीतागार परियोजनाएं स्थापित नहीं करता है । परंतु, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की 'एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना' स्कीम के अंतर्गत विगत 5 वर्षों के दौरान कुल 3.67 लाख मीट्रिक टन शीतागार क्षमता सृजित की गई है जिसका राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है । इसके अलावा, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्लू) अपनी 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)' स्कीम के अंतर्गत शीतागार परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए सहायता देता है । विगत 5 वर्षों के दौरान कुल 32.03 लाख मीट्रिक टन क्षमता की कुल 799 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं हैं जिनका राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है । इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड शीतागार सुविधाओं की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए 'बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश स्कीम' कार्यान्वित कर रहा है । विगत 5 वर्षों के दौरान कुल 12.59 मीट्रिक टन क्षमता की कुल 236 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं हैं जिनका राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-IV** में दिया गया है ।

(ड.) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने आ रहीं प्रमुख चिह्नित चुनौतियां आधुनिक अवसंरचना, कार्यक्षम आपूर्ति श्रृंखला, शीत श्रृंखला अवसंरचना, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी तथा सस्ता क्रेडिट उपलब्ध न होना हैं । अवसंरचनागत एवं लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों से निपटने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता रहा है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष सृजित किया गया है । इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) की परिधि में लाया गया है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दो संस्थान अर्थात – भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), तंजावुर, तमिलनाडु और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), सोनीपत, हरियाणा हैं जो खाद्य प्रसंस्करण/प्रौद्योगिकी के संबंध में अकादमिक कार्यक्रम चला रहे हैं तथा क्षेत्र में मानव पूंजी अंतर को पाटने के लिए खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अनुसंधान कार्यकलाप भी चला रहे हैं ।

*****

संलग्नक-I

खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के बारे में दिनांक 23 जुलाई,2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.426* के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष-वार किए गए प्रमुख नीतिगत/वित्तीय उपाय तथा उठाए गए अन्य कदम ।

वर्ष	किए गए नीतिगत/वित्तीय उपाय/की गई घोषणाएं/उठाए गए कदम
2014-15	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में 2000 करोड़ रुपए के विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष का गठन करना ।
2015-16	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन तथा शीत श्रृंखला अवसंरचना को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) की परिधि में लाना ।
2016-17	(क) भारत में उत्पादित और/अथवा निर्मित खाद्य उत्पादों के बारे में ई-वाणिज्य के माध्यम से व्यापार सहित खुदरा व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति । (ख) मौजूदा तीन स्कीमों के अतिरिक्त तीन नई स्कीमों को शुरू करते हुए प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की अम्ब्रैला स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीमों क पुनर्संरचना ।
2017-18	जीएसटी के कार्यान्वयन के दौरान यह सुनिश्चित किया था कि 80% खाद्य मदें 0-12% के स्लैब के अंतर्गत आएं ।
2018-19	(क) 100 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले किसान उत्पादक संगठनों को कृषि में फसलोत्तर मूल्यवर्धन जैसे कार्यकलापों से प्राप्त होने वाले लाभ से 100% आयकर से छूट । (ख) पूर्णता: टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों के एकीकृत विकास और अल्पकालिक मूल्य हस्तक्षेप उपायों के माध्यम से उनके मूल्य स्थिरीकरण हेतु एक नई स्कीम 'ऑपरेशन ग्रीन्स' शुरू की ।

संलग्नक-II

खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के बारे में दिनांक 23 जुलाई,2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.426* के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

विगत 5 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पूर्ण शीत श्रृंखला अवसंरचना परियोजनाओं सृजित की गई राज्य-वार शीतागार सुविधाएं ।

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	संख्या	क्षमता (लाख मीट्रिक टन)
1	आंध्र प्रदेश	3	0.06
2	असम	2	0.08
3	छत्तीसगढ़	2	0.09
4	गुजरात	9	0.11
5	हरियाणा	7	0.36
6	हिमाचल प्रदेश	5	0.09
7	जम्मू और कश्मीर	4	0.072
8	कर्नाटक	5	0.08
9	मध्य प्रदेश	3	0.11
10	महाराष्ट्र	27	0.93
11	मणिपुर	1	0.03
12	नागालैंड	1	0.01
13	ओडिशा	2	0.02
14	पंजाब	11	0.37
15	राजस्थान	4	0.2
16	तमिलनाडु	1	0.027
17	तेलंगाना	3	0.075
18	उत्तर प्रदेश	9	0.346
19	उत्तराखंड	14	0.5
20	पश्चिम बंगाल	3	0.11
	कुल	**116**	**3.67**

संलग्नक-III

खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के बारे में दिनांक 23 जुलाई,2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.426* के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार एवं वर्ष-वार स्वीकृत की गईं शीतागार परियोजनाएं ।

	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	संख्या	क्षमता (मी.ट)	संख्या	क्षमता (मी.ट)	संख्या	क्षमता (मी.ट)	संख्या	क्षमता (मी.ट)	संख्या	क्षमता (मी.ट)
आंध्र प्रदेश	8	38680			10	49281	**1**	5000		
बिहार	1	5000								
छत्तीसगढ़	5	25000							1	3243
गुजरात	61	277032	**61**	211443	68	332661	**116**	**564289**	66	277169
हरियाणा	1	3794	**4**	9009	23	60313	9	31554	3	10890
हिमाचल प्रदेश	2	9371	**17**	31993	10	13441			5	4078
जम्मू और कश्मीर	1	5000	**4**	24207	3	12000	**14**	54284		
झारखंड			**1**	5000	1	10000				
कर्नाटक	2	6600	**1**	4900	3	10770	**5**	18923	2	6026
मध्य प्रदेश	13	59375	**14**	63266						
महाराष्ट्र	12	44391	**6**	14798	3	6980				
मणिपुर							**1**	1600		
ओडिशा	9	40060	**47**	156440	6	30000	**2**	1200		
पंजाब	3	12841	**30**	86904			**12**	37368		
राजस्थान	2	3998			1	5000			3	12933
सिक्किम	1	100								
तमिलनाडु								10000		
तेलंगाना			**10**	56029	5	23000			4	20000
उत्तर प्रदेश			**15**	40437	27	108533	**52**	217566	1	5000
उत्तराखंड			**9**	19150	1	2500	**1**	2400		
पश्चिम बंगाल										
कुल	**121**	**531242**	**219**	**723576**	**161**	**664479**	**213**	**944183**	**85**	**339339**

संलग्नक-IV

खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के बारे में दिनांक 23 जुलाई,2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.426* के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार एवं वर्ष-वार स्वीकृत की गईं शीतागार परियोजनाएं ।

		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	संख्या	क्षमता (मी.ट.)	संख्या	क्षमता (मी.ट.)	संख्या	क्षमता (मी.ट.)	संख्या	क्षमता (मी.ट.)	संख्या	क्षमता (मी.ट.)
1	आंध्र प्रदेश	1	3924	6	29037	1	5499	1	9760	2	17357
2	असम	1	6165	2	19677	2	10552	0	0	2	15200
3	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22172
4	चंडीगढ़	1	246	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	3	17742	1	5200	0	0	0	0	0	0
6	गुजरात	1	5038	1	8515	4	22954	0	0	1	7398
7	हरियाणा	12	63113	4	12685	1	4518	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	7099	0	0	0	0	2	10579
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	1	2730	3	17825	1	5094
10	झारखंड	1	4400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	1	3551	0	0	2	13809	1	2954	2	11356
12	केरल	0	0	0	0	0	0	1	1300	0	0
13	मध्य प्रदेश	0	0	4	23863	0	0	3	22102	3	22340
14	महाराष्ट्र	4	17639	2	10359	3	10767	0	0	0	0
15	ओडिशा	0	0	0	0	1	9982	0	0	0	0
16	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	पंजाब	9	36799	3	15623	1	8015	2	10292	19	100015
18	राजस्थान	1	1200	2	10979	1	1506	1	6000	7	28896
19	तमिलनाडु	1	6135	1	5112	0	0	0	0	3	14576
20	त्रिपुरा	1	7173	0	0	0	0	0	0	0	0
21	उत्तर प्रदेश	27	139014	23	121447	15	98565	9	55056	16	92284
22	उत्तराखंड	1	4016	1	600	0	0	0	0	0	0
23	पश्चिम बंगाल	3	5217	2	6077	0	0	0	0	0	0
	कुल	**68**	**321372**	**54**	**276273**	**32**	**188897**	**21**	**125289**	**61**	**347267**